बिहार विधान सभा में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न

श्रीमती गुड्डी देवी, मा0 स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ए–175 के संबंध में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,** मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना
प्रश्न	**उत्तर**
1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रुन्नीसैदपुर प्रखंड थाना कांड सं0–9/11 को बागमती मुख्य धारा में नाव पलटने से (1)श्री योगी महतो, पिता–स्व0 रामेश्वर महतो (2) श्रीमती शीला देवी, पति –धनेश्वर महतो (3) पवन कुमारी, पिता–धनेश्वर महतो, ग्राम –बधौनी की मृत्यु हो गई है,	आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि दि0–30.08.2011 को (1) श्री योगी महतो पिता–श्री रामेश्वर महतो (2) श्रीमती शीला देवी पति–धनेश्वर महतो, ग्राम –बघौनी की मृत्यु पंचायत खड़का के बागमती नदी के मुख्य धारा में गैरसरकारी नाव पलटने से नदी पार करने के समय हो गयी। (3) स्थानीय लोगों ने बताया कि पवन कुमारी, पिता–धनेश्वर महतो की मृत्यु भी इसी दुर्घटना में हुई थी, किन्तु पवन कुमारी पिता–धनेश्वर महतो की लाश अभी अप्राप्त है।
2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना कांड सं0–9/11 में उक्त मृत व्यक्तियों को आज तक मुआवजा एवं सरकारी प्रावधान के अनुसार नौकरी नहीं मिली है,	आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि मृतक के आश्रितों द्वारा इसकी सूचना वर्तमान में जिला प्रशासन को दी गयी है। जिला पदाधिकारी द्वारा सरकारी प्रावधान के अनुसार मृतकों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु आवश्यक कागजात परिजनों एवं थाना से प्राप्त किया जा रहा है। गैर प्राकृतिक आपदा के तहत अनुग्रह अनुदान अतिशीघ्र देने हेतु विभागीय निदेश जिला पदाधिकारी को दे दिया गया है। 2. आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है।
3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सरकारी प्रावधान के अनुसार उक्त मृतकों के परिवार को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, कबतक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0स0ता0प्र0–35/2013/............................../आ0प्र0, पटना–15, दि0–

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक –8806 दिनांक –4. 03.2013 (जो गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना से हस्तांतरित होकर इस विभाग को प्राप्त हुआ है) के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –04/वि0स0ता0प्र0–35/2013/.....1404...../आ0प्र0, पटना–15, दि0– 15/4/13.

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

15/4/13
सरकार के अवर सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai\Qu ans 8-03-2013.docx